## JUNIOR INVESTIGATOR & COMPUTER SENIOR

15

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 210.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्याय विभाग (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1977 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्याय विभाग (समूह 'ग' पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. न्याय विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

				अनुसूची		• .	, ,
पर का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, और ग्रेड पे/वेतनमा	चयन पद अथवा न अचयन पद ·	सीधी भर्ती किए के लिए आयु-सीग	जाने वाले व्यक्तियों ग	सेवा में जोड़े ग्रं वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3')	(4)	(5)	(6)		(6क)
कनिष्ठ अन्वेषक	01 * (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय् सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे-बैंड 1, 5200— 20200 रु. तथा ग्रेड पे 2800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के नोट 1: सरकारी शिथिल करके अधि 35 वर्ष की जा सव	सेवकों के लिए अकतम आयु सीमा	नहीं
सीध भर्ती वि और अन्य ३		यों के लिए अपेक्षि	सत शैक्षिक	व्यक्तियों व और शैक्षि	किए जाने वाले हे लिए विहित आयु क अहीताएं प्रोन्नत ही दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवा	धि, यदि कोई हो
(7)				(8)		(9)	
या सांख्यिकी वांछनीय :	गप्राप्त विश्वविद्यालय में से किसी एक वि किड़ों से संबंधित का	षय में डिग्री या स	मकक्ष ।	आयु : र शैक्षिक	नहीं अर्हता : हां	2 वर्ष (केवल सी व्यक्तियों के लिए)	
प्रतिनियुक्ति/ङ्	द्वित : भर्ती सीधे हो आमेलन द्वारा तथा वि रों की प्रतिशतता	गी या प्रोन्नित द्वारा भिन्न पद्धतियों द्वार		ोन्नति/प्रतिनियुक्ति ।न्नति/प्रतिनियुक्ति,	त/आमेलन द्वारा भ /आमेलन किया जाए	र्तीकी दशा में वे गा	श्रेणियां जिनसे
	(10)				(11)		
प्रोन्नित/प्रितिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसक <mark>े न हो</mark> सकने पर सीधी भर्ती द्वारा			के	प्रोन्नित /प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो सदृश पद धारण किए हुए हों अथवा जिन्होंने पे बैंड 1, 5200— 20200 रुपए तथा 2400 रु. ग्रेड पे वाले पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की सेवा हो; तथा			

(11)

(ख) जिनके पास कॉलम 7 में विहित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो । नोट: इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय कम्प्यूटर (विरिष्ठ) के बारे में भी विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन कर लिया जाता है तो पद को पदोन्नित द्वारा भरा गया समझा जाएगा । फीडर श्रेणी में विभागीय विरिष्ठ कम्प्यूटर, जो पदोन्नित की सीधी लाइन में हों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अविधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अविधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

20200 रुपए तथा 2000 रु. ग्रेड पे वाले पदों पर पांच वर्ष की

नियमित सेवा की हो; तथा

यदि विभागीय पदोन्ति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (12)(13)समूह 'ग' विभागीय प्रोनिति समिति (स्थायी करने के लिए लागू नहीं होता । विचार करने हेतु):-1. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय (प्रशासन प्रभारी) -अध्यक्ष 2. सहायक विधि सलाहकार, न्याय विभाग -सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशा. 1), गृह मंत्रालय -सदस्य (1)(2)(3)(4) (5)(6) (6क) 01\*(2010) कंप्यूटर पे-बैंड-1, साधारण लागू नहीं 18 से 25 वर्ष के बीच नहीं (वरिष्ठ) \*कार्यभार के केन्द्रीय सेवा, 5200---होता नोट 1 : सरकारी सेवकों के लिए आधार पर समृह 'ग'. 20200 চ. शिथिल करके अधिकतम आयु सीमा परिवर्तन किया अराजपत्रित, तथा ग्रेड पे 35 वर्ष की जा सकती है। जा सकता है। अननुसचिवीय 2400 天. (7)(8) (9) आवश्यक : आयु : नहीं 2 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए गए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित शैक्षिक अर्हता : हां व्यक्तियों के लिए) या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में डिग्री या समकक्ष। वांछनीय : सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित कार्य का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । (10)(11)प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण जिसके प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण /स्थानांतरण :--न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :--(क)(i) जो सदृश्य पद धारण किए हुए हों अथवा जिन्होंने पे बैंड 1, 5200(11)

(ख) जिनके पास कॉलम 7 में विहित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत के उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(12)

ग' विभागीय प्रोन्नित सिमिति (स्थायी करने के लिए लागू नहीं होता।

करने हेतु):—

उप सिचव/निदेशक, गृह मंत्रालय (प्रशासन प्रभारी) —अध्यक्ष

प्रहायक विधि सलाहकार, न्याय विभाग —सदस्य

अवर सिचव (प्रशा. I), गृह मंत्रालय —सदस्य

[फा. सं. ए-12018/01/2010-प्रशा.-V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2011

- G.S.R. 210.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules further to amend the Department of Justice (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977,
  - 1. (1) These rules may be called the Department of Justice (Group 'C' posts) Recruitment (Amendments) Rules,
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Department of Justice (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977, for the Schedule, the following ile shall be substituted, namely:—

## **SCHEDULE**

of st	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non- selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)
Ir Auresti- gator	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	PB-1, Rs. 5200— 20200 with the Grade Pay of Rs. 2800	Not applicable	Between 18 and 25 years.  Note 1:—Upper age limit relaxable for Government Servants up to 35 years.	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educat qualifications prescribed direct recruits will apply case of promotees	d for				
(7)	(8)	(9)				
Essential:	Age: No	2 years (for direct recruits				
Degree of a recognized University or equivalent with Economics or Mathematics or Statistics as one of the subjects.	Educational Qualification	·				
Desirable: 3						
Two years experience in handling statistical data.						
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made					
(10)		(11)				
Promotion/transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Promotion/transfer on deputation: Officers under the Central Government:—					
	(a) (i) Holding analogous posts or with five years regular service in a post in PB-1, Rs. 5200—20200 with the Grade Pay of Rs. 2400; and					
	(b) Possessing the qualifications and experience prescribed in column 7.					
	Note: The Departmental Computer (Senior) with 5 years regular service in the grade will also be considered and in case he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled up by promotion. The Departmental Senior Computer in the feeder category who is in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organisation shall ordinarily not exceed three years.)					
If a Departmental Promotion Committee exists, what composition		nstances in which Union Public Service ission is to be consulted in making ment				
(12)		(13)				
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation) :—	considering	Not applicable.				
Deputy Secretary/Director, MHA (in-charge of Admn.)	—Chairman					
2. Assistant Legal Adviser, Department of Justice	—Member					
. Under Secretary (Ad. I), MHA	Member	•				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(6a)		
Computer (Senior)	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	PB-1, Rs. 5200— 20200 with the Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	Between 18 and 2 Note 1: Upper ag relaxable for Gov Servants upto 35	e limit ernment	No		
	(7)			. (8			(9)		
with Econorone of the s  Desirable:		natics or Statist	ics as	Age: 1 Educational Qu	alification : Yes	only)	for direct recruits		
statistical d	practical expe ata.	errence in na							
				,					
	(10)			·	(11)	<del></del>			
	Transfer on deputation/transfer failing which by direct recruitment.				Transfer on deputation/transfer: Officers of the Central Government:—  (a) (i) Holding analogous posts or with five years regular				
			(a		a post in PB-1, Rs. 5				
				(b) Possessing the qualifications and experience prescribed in column 7.					
			ez sa	(The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organisation shall ordinarily not exceed three years).					
(12)				(13)					
Group 'C' I Confirmati	Departmental P on) :—	romotion Com	mittee (for cor	isidering		Not appli	cable.		
	Secretary/Directing of Admn.)	ctor, MHA		Chairman ·					
2. Assistan	nt Legal Advis	er, Department	of Justice —	Member					
3. Under S	Secretary (Ad. I)	, MHA		Member					
						[F. No. A-12	018/01/2010-Ad. V		